

20.12.2024:-पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी ने अपना मूल वादपत्र विद्धा कर लिया है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री अनिलकुमार शर्मा द्वारा की गई। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र में जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.02.2023 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



01/12/24
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़